पुर्नविचार (रिव्यु) अपील सूचना अधिकार संख्या 76/2020(GCMS 2020/00134) श्री राधेश्याम गोयल निवासी मकान नं. 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94139–35077) <u>बनाम</u> तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

<u>**15.03.2023**</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक अपील संख्या 80/2019 पेश की थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2020 को निर्णय पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह पुर्नविचार(रिव्यू) प्रार्थना पत्र पेश किया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक को प्रथम अपीलीय अधिकार के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में माननीय राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील पेश करने का अधिकार है और इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी स्तर पर कोई भी पुर्नविचार(रिव्यू) प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रावधान नहीं है।

चूंकि यह एक विशिष्ट अधिनियम है और इस अधिनियम में पुर्नविचार (रिव्यु) प्रस्तुत करने का आवेदक/अपीलार्थी को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी राधेश्याम गोयल को इस न्यायलय के निर्णय दिनांक 02.03.2020 के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत पुर्नविचार(रिव्यू) पेश करने का कोई अधिकार नही है और न ही ऐसे पुर्नविचार(रिव्यू) प्रार्थना पत्र सुनने का इस न्यायालय को कोई अधिकार है। इसलिए अपीलार्थी का पुर्नविचार(रिव्यू) प्रार्थना पत्र ग्रहणता के बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी का पुर्नविचार(रिव्यु) प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है। अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:18 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर